



ग्रामीण आदिवासी समुदाय की महिलाओं की शैक्षिक उन्नति में बरली ग्रामीण महिला विकास संस्था की भूमिका का अध्ययन

सरिता बोंबड़े (शोधार्थी)

शिक्षा अध्ययन शाला

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा इकाई अध्ययन किया गया है। बरली ग्रामीण महिला विकास संस्था एक सामाजिक संस्था है। यह संस्था ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक उन्नति के लिए कार्यरत है। इस संस्थान में आदिवासी महिलाओं को शिक्षित करने हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अध्ययन के लिए उपकरण के रूप में बाह्य निरीक्षण, साक्षात्कार, दस्तावेजों का अवलोकन, निरीक्षण अनुसूची का प्रयोग किया गया साथ ही महिला प्रतिभागियों से उनके क्षेत्रों में जाकर अवलोकन अनुसूची एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्रदत्त प्राप्त किए गए। प्रदत्तों का विश्लेषण विषयवस्तु विश्लेषण विधि द्वारा किया गया। प्राप्त परिणाम में पाया गया कि संस्थान में महिलाओं, बालिकाओं में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर वे स्वरोजगार कर रही हैं, जिससे वे स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण आदिवासी महिलाओं में शिक्षा से सकारात्मक परिवर्तन आया है वे आर्थिक रूप से सशक्त हैं जो कि बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान के प्रशिक्षण द्वारा संभव हो सका है।

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। “नहि ज्ञानेन सदृश्य पवित्र मिल विद्यते” कहकर श्रीमद् भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान ने ज्ञान को पवित्रतम घोषित किया है तथा शिक्षा को श्रेष्ठ प्रगति का मार्ग बताया है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण सम्यक विकास के लिए विभिन्न तन्तुओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। जिसमें मानव मात्र में आत्मसात करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने, और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूर्ण सहयोग देने की भावना का विकास हो सके। जीवन में सभी को शिक्षा प्राप्त और प्रगति का मार्ग इतना सहज एवं बाधा रहित नहीं होता। पावलो शिक्षा को

मुक्ति का अभ्यास, संवाद का विस्तार, और चेतना की रचना मानते हैं। किसी भी देश की सुव्यवस्था और प्रगति उसी समय हो सकती है जब उस देश के नागरिक शिक्षित हो। प्रत्येक योजना एवं कार्य में पूर्ण सहयोग दे सके। अतः यह तभी हो सकता है जब सभी शिक्षित हों। पावलो शिक्षा को मुक्ति का अभ्यास, संवाद का विस्तार, और चेतना की रचना मानते हैं। किसी भी देश की सुव्यवस्था और प्रगति उसी समय हो सकती है जब उस देश के नागरिक शिक्षित हो प्रत्येक योजना एवं कार्य में पूर्ण सहयोग दे सके। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या लगभग 50 प्रतिशत है। अतः इन्हें शिक्षित किया जाना आवश्यक है। जिनमें बहुत कम पढ़ी-लिखी

हैं, विशेषकर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में महिला शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं निरपेक्षता का भाव है , अशिक्षा शहरों की तुलना में गांवों , कस्बों में अधिक है। इसमें भी सामान्य के मुकाबले ग्रामीण जनजातियों में और भी कम है। जनजातियों में साक्षरता दर 8.42 प्रतिशत है, इसमें महिलाओं की दर केवल 0.66 प्रतिशत मात्र हैं। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत भाग पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है। मध्यप्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है , अतः इनकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक संस्था बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान है , जो इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने उनको साक्षर करने के लिए कार्यरत है। बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान भारत में मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर में आदिवासी कमजोर वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इस संस्थान में महिलाओं को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें उनकी आवश्यकतानुसार समय विस्तार भी किया जाता है। समय-समय पर संस्थान में अल्पकालिक पाठ्यक्रम और समूह कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। महिलाओं की समझ का विकास करके उनमें नेतृत्व कौशल का विकास कर संस्थान महिलाओं को काम करने के लिए आत्मनिर्भर बना कर अपने घर भेज देती है। संस्थान ने 1985 में स्थापना के बाद से 320 आदिवासी गाँवों की कुल 1600 से अधिक युवा महिलाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया है। बरली का अर्थ होता है आदिवासी घरों की संरचना का मुख्य आधार स्तम्भ (सहारा)। इस आधार स्तम्भ के समान

बरली की महिलाएं पढ़ लिख कर अपने घर , परिवार, और समुदाय का सहारा बनती हैं। औचित्य विश्व के मानचित्र पर महिलाओं ने अपने निर्णयों द्वारा छाप छोड़ी है परन्तु वहीं पर सुदूर गाँवों की महिलाओं की भागीदारी कम है। इन आदिवासी ग्रामीण महिलाओं को अशिक्षा के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पाता इसका प्रमुख कारण अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी है। इन ग्रामीण आदिवासी समुदाय की महिलाओं की शिक्षा की उन्नति में एक समाजसेवी संस्था बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। महिला शिक्षा के विकास से संबंधित इससे पहले भी अनेक शोधकर्ताओं ने विभिन्न संस्थाओं को लेकर इकाई अध्ययन किया है , जो निम्नानुसार है। एस.आई.ई. असम (1963), मेहता(1979), देसाई (1977), मोहाना (1983), काला (1984), मोहम्मद (1988), शहरोज (2009), परवीन (2015), ने विभिन्न संस्थाओं को लेकर इकाई अध्ययन किया। उपर्युक्त वर्णित कालानुक्रम में प्रस्तुत शोधकार्यों से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में सीमित शोध कार्य हुए हैं , साथ ही आदिवासी ग्रामीण महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी कम कार्य हुए हैं , यह एक अनोखी संस्था है जो अत्यंत ग्रामीण पिछड़े आदिवासी कमजोर वर्ग की बालिकाओं को (धार , झाबुआ, अलीराजपुर आदि स्थानों से आती हैं) आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्यानुसार यहाँ की विशिष्टताओं , पाठ्यक्रम, पाठ्यविधियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण , सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों , व्यक्तित्व विकास एवं सृजनात्मक कार्यों को अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा इसी

विशेषताओं के कारण इस संस्था को अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

उद्देश्य

ग्रामीण आदिवासी समुदाय की महिलाओं की शिक्षा की उन्नति में एक समाजसेवी संस्था की भूमिका का अध्ययन (बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान के संदर्भ में) करना।

शोध प्रविधि

इकाई अध्ययन विधि का अर्थ है किसी एक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करना। अध्ययन के लिए ग्रहित इकाई कोई व्यक्ति, संस्था, परिवार इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार का अध्ययन किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की वर्तमान अवस्था का सबसे अधिक व्यापक तथा गहन मूल्यांकन है। वर्तमान परिस्थिति या हैसियत को निर्धारित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन इस शोध विधि की विशेषता है।

इकाई अध्ययन विधि

व्यक्तिगत अध्ययन विधि बंम ैजनकल डमजीवकद्ध यह एक प्रकार की गुणात्मक पद्धति है, जिसमें किसी भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय, दल के समस्त आवश्यक पक्षों का समावेश होता है। इस पद्धति में किसी घटना से संबंधित अतीत व वर्तमान दोनों प्रकार के तथ्यों को आधार मानकर व्यक्ति, संस्था का गठन किया जाता है।

व्यक्ति अध्ययन

प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशेष इकाई का गठन एवं विस्तृत अध्ययन करने से इसका संबंध होता है।

परिभाषा

यंग के अनुसार, "व्यक्तिवृत्त अध्ययन किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज व विवेचना

करने की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग या समस्त समुदाय के हों। उपकरण एवं प्रदत्त संकलन विधि

उपकरण : प्रदत्तों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में बाह्य निरीक्षणों, प्रतिक्रिया मापनी, साक्षात्कार अनुसूचियों, अवलोकन अनुसूचियों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त संस्था के विभिन्न अभिलेखों, पत्रिकाओं एवं पुराने दस्तावेजों का प्रयोग प्रदत्तों के संकलन के लिए किया गया।

बाह्य निरीक्षण : बाह्य निरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति वास्तविक जीवन स्थिति में घटने वाली क्रियाओं को बिना प्रभावित किये, बिना प्रभावित हुए देखते हैं और घटनाओं की श्रेणियां बनाते हैं और उनका किसी योजनागत विधि से संलेख तैयार करते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तियों के नियंत्रित व अनियंत्रित स्थितियों में प्रत्यक्ष व्यवहार के मूल्यांकन में किया जाता है। वर्णनात्मक शिक्षा अनुसंधान में अवलोकन विधियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

साक्षात्कार अनुसूची : यह संरचित प्रकार की अनुसूची थी संस्था प्रमुख से साक्षात्कार लिया एवं महिला प्रतिभागियों के विकास के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाये गये। संस्था की निर्देशिका एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

निरीक्षण अनुसूची : निरीक्षण अनुसूची संस्थान की उन पूर्व महिला प्रतिभागियों के लिए निर्मित की गयी थी जो संस्थान से प्रशिक्षित होकर गयी हैं। इसके द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी एवं उनकी स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया गया।

क्रियान्वयन : शोधकर्ता द्वारा वर्तमान शोध अध्ययन से संबंधित व्यक्तियों को अध्ययन के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। बरली संस्थान की निर्देशिका, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रशिक्षणार्थियों को इस शोध का प्रयोजन तथा उपयोगिता बतायी गयी। उपयुक्त उपकरणों की सहायता से उद्देश्यानुसार विभिन्न व्यक्तियों से शोध से संबंधित जानकारी प्राप्त कर आँकड़े एकत्रित किए गए।

प्रदत्तों का विश्लेषण : प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन गुणात्मक प्रकृति होने के कारण प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण उद्देश्यानुसार विषयवस्तु विश्लेषण विधि द्वारा किया गया एवं निरीक्षण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों को व्यवस्थित कर गुणात्मक रूप से व्याख्या की गयी, साक्षात्कार की विवेचना“विषयवस्तु विश्लेषण विधि द्वारा किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

साक्षरता कार्यक्रम : इस उद्देश्य हेतु अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया। संस्थान में साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जाता है। यहा साक्षरता सभी कार्यक्रमों के केन्द्र में है। शिक्षा से मनुष्य मे स्वयं के और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने की भावना विकसित होती है। बरली संस्थान में दो प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। संस्थान में आने वाली अधिकतर महिला प्रशिक्षणार्थी निरक्षर होने के कारण उनकी शिक्षा का प्रारम्भ बुनियादी साक्षरता से किया जाता है, में और मेरा समुदाय, मेरा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण आदि विषयों के साथ अक्षर ज्ञान शुरू आत होती है तथा दूसरा उन्नत स्तर हाईस्कूल उत्तीर्ण अथवा पढाई छोड़ चुके प्रशिक्षणार्थियों के लिए होता है। यहाँ प्रशिक्षण आवासीय तथा निः शुल्क है।

शिक्षण विधि : यहाँ शिक्षण कार्य वृहत कक्षा में न होकर 5-6 प्रशिक्षणार्थियों के छोटे-छोटे समूह में समूह गतिविधि द्वारा होता है। प्रत्येक समूह में एक प्रशिक्षिका तथा एक सहायिका होती है। सहभागी अवलोकन द्वारा पाया गया कि ग्रामीण महिलाएँ प्रथम बार आती है तो अपनी भाषायी भिन्नता के कारण संकुचित-सी रहती है, उन्हें जल्दी समझ में नहीं आता इसीलिए उनकी भाषा जानने वाली सहायक शिक्षिका द्वारा अध्यापन कराया जाता है, जो अक्षर ज्ञान होने तक उसे उनकी बोली में समझाती है। इस प्रकार सरल से जटिल की ओर अध्यापन कराया जाता है।

शिक्षक चयन : शिक्षक चयन किसी भी शिक्षण संस्थान की नींव होती है। बरली संस्थान में लाभार्थियों में से ही कुशल प्रशिक्षणार्थी जो इच्छुक हो को सहायिका के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। जिससे संस्थान में आने वाली नई प्रशिक्षणार्थियों की भाषागत तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती हैं। प्रशिक्षणार्थियों का चयन : बरली संस्थान में वर्ष में दो बार प्रत्येक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 70 से 80 प्रशिक्षणार्थियों का चयन “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से अपवंचित अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से बाधित, अनाथों, विधवाओं, तलाकशुदाओं, शोषितों और उपेक्षितों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी का ज्ञान स्तर जांचने हेतु 50 प्रश्नों की प्रश्नावली के आधार पर साक्षात्कार लिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने पर भी प्रशिक्षणार्थियों का साक्षात्कार द्वारा ज्ञान स्तर जांचा जाता है। केवल छह माह के प्रशिक्षण के बाद लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। प्रशिक्षणार्थीगण पढ़ना, लिखना व साधारण



पुस्तकों, प्रपत्रों, नोटिसों, संदेशों, पत्रों तथा चिन्हों, को समझना सीखते हैं। वह आधारभूत गणित, भार, माप, और समय भी सीखते हैं। प्रायोगिक अभ्यासों के द्वारा, प्रशिक्षणार्थी गण आलेखों का प्रबंधन करना, मापों के अनुसार प्रारूप बनाना, बचे माल की गणना करना, कीमत एवं लागत का अनुमान लगाना, रसीद लिखना, बही खातों का प्रबंधन करना और सरकारी अधिकारी के पास आवेदन लेकर पहुंचना सीख रहे हैं। बरली ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण युवा आदिवासी महिलाओं को उनके परिवारों, उनके समुदायों और उनके स्वयं के जीवनो को सुधारने के लिए उनको आवश्यक कौशलों व ज्ञान की विस्तृत सीमा को प्राप्त करने के लिए सशक्त करता है। उन जिलों में जहां से अधिकतर प्रशिक्षणार्थी आते हैं वहां की आदिवासी महिलाओं के बीच 'बरली' बहुत अधिक सामान्य नाम है। बरली, केन्द्रिय स्तंभ को दर्शाती है, जो इन क्षेत्रों में विशिष्ट आदिवासी घरों की सहायता करता है। संस्थान ने इस विश्वास के साथ कि महिलायें समाज की केन्द्रिय स्तंभ हैं। उन्हें शिक्षित कर परिवार का मजबूत आधार स्तंभ बनाने का प्रयास किया है। इन्दौर स्थित संस्थान ने मध्यप्रदेश और भारत के अन्य भागों के 600 गांवों से 6500 युवा महिलाओं से अधिक के लिए 103 आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए हैं। आदिवासी बालिकाओं, सामाजिक और आर्थिक रूप से अपवंचित अर्थात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से बाधित अनाथों, विधवाओं, तलाकशुदाओं शोषितों और उपेक्षितों को प्राथमिकता दी जाती है।

व्यक्तित्व विकास : बरली में प्रशिक्षणार्थी सीखते और अनुभव करते हैं कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास करने के द्वारा अपने

परिवारों व समुदायों में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, इनके द्वारा आत्म सम्मान व विश्वास का विकास, सलाह करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की योग्यताओं और भावनात्मक परिपक्वता को प्राप्त करना तथा जनसभा में बोलने, अधिकारियों व अपरिचित लोगों से अपनी बात कहने जैसे सम्प्रेषण कौशल का विकास। शैक्षिक और प्रशिक्षण कौशल: ज्ञान अभिवृत्ति व अभ्यास जो भौतिक समृद्धि की ओर ले जाते हो, सीखना कि कैसे अपने अधिकारों, योजनाओं तक पहुँच बनाकर उपयोग किया जाए और अपने विकास के लिए वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना, ऋण प्राप्त करना, लघु ऋण समूहों का निर्माण एवं संचालन, छोटा व्यापार व विक्रय बाजार स्थापित व प्रबंधन करना, सलाह की प्रक्रिया द्वारा सामूहिक निर्णय लेना सीखना जो कि वृहत सीमा के विचारों पर गौर करने, खुलेपन को सम्मानित करने व व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ऊपर समूह के निर्णय की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नैतिक नेतृत्व का विकास : स्वयं को, अपने परिवारों व समुदायों को विकसित करने के व्यक्तिगत लक्ष्यों को तय करना तथा प्राप्त करना, सार्वभौमिक मूल्यों जैसे कि विविधता में एकता, शांति, प्रेम व अहिंसा, लिंगात्मक समानता, सभी लोगों की समानता, समुदाय के प्रति सेवा, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता और सभी संस्कृतियों व धर्मों के लिए आदर को समाहित करना। साथ ही साथ उन्हें अपनी संस्कृति में निहित उन सकारात्मक तत्वों जिन्हें संरक्षित व सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, को पहचानने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण : बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में इन महिलाओं के लिए

साक्षरता के साथ ही स्वावलंबी बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं। जिसमें पारंपरिक कलाओं व हस्त कलाओं को पुनर्जीवित तथा विकसित करने के साथ कपडा कटाई , सिलाई, डेस बनाना , सीखते हैं। कुछ ने कपडा डिजाईन बुटिक, ब्लाक व स्क्रिन प्रिंटिंग करने , व मशीन से कढ़ाई व मोती का काम करने को भी चुना है। हर्बल डिटरजेन्ट शैंपू और मेंहदी का पाउडर बनाना , सब्जियां उगाना व उनका विक्रय करना जैसे कुछ अन्य जानार्जन कौशल विकास से संबंधित हैं।

अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थीगण कटाई व सिलाई के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की परीक्षा में भाग लेते हैं और आधारभूत प्रशिक्षकगण भी जो कम्प्यूटर के बारे में सीखते है , टाईपिंग (टंकण) की परीक्षा में भाग लेते हैं। परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी सक्षम हो जाते हैं और सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) प्राप्त करते हैं जो रोजगार प्राप्त करने मे उनकी मदद करता है।

परिणाम

निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि संस्थान में महिलाओं के विकास हेतु की जाने वाली गतिविधियों से उनमें सकारात्मक परिवर्तन आये हैं। कार्यात्मक साक्षरता , जिससे उनके जीवन में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता आयी है। बरली से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी अपने घर जाकर स्वयं का स्वरोजगार कर रही हैं। पूर्व प्रशिक्षणार्थियों में आये बदलाव, उनकी शिक्षा तथा स्वरोजगार के प्रति लगाव उनके सशक्तिकरण को प्रकट करता है। पूर्व प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता होते हुए भी अधिकतर प्रतिभागी निर्धन परिवार से होने के कारण अपने जीवन स्तर को थोड़ा सुधार सके। स्वयं सहायता समूह ,

स्वरोजगार में विविधता का अभाव देखने को मिला, जिससे कुछ प्रतिभागियों को रोजगार हेतु परिवार से अलग दूसरे गाँवों या कस्बों में रहना पड़ रहा है। अधिकांश परिवारों में पशुपालन तथा घरों के आस-पास सब्जी भाजी उत्पादन भी देखने को मिला। क्षेत्र अवलोकन से ऐसा लगा कि शासन की अधिकांश योजना का लाभ इन आदिवासी परिवारों तक पहुँचने से पहले ही कस्बों तथा डमि लाभार्थियों द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है। बरली संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त लड़कियाँ तथा महिलायें अपने-अपने परिवारों की बरली अर्थात विकास की आधारस्तंभ बनी हुयी है। बरली की पूर्व प्रशिक्षणार्थियों ने अपने कार्यों से समुदाय एवं क्षेत्र में अपने स्वयं के लिए तथा संस्थान के प्रति विश्वास एवं सम्मान पैदा किया है।

बरली संस्थान समाज के अपवंचित निरक्षर महिलाओं में अपने अल्पावधि प्रशिक्षण के द्वारा अपनी मूल सांस्कृतिक स्वरूप को बनाये रखते हुए विकासात्मक बदलाव लाने में सफल रही हैं। सुदूर क्षेत्रों से आयी निरक्षर या अर्द्धसाक्षर आदिवासी महिलाए बरली से जाने के बाद अपने व्यक्तित्व द्वारा अपने परिवार व समुदाय का सकारात्मक विकास का प्रयास करती हैं। परिवार व समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक विकास तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के लिए पोशक नेतृत्व प्रदान करती हैं। इन समुदाय के लोगों मे बरली संस्था के प्रति विशेष आस्था, भरोसा तथा लगाव है।

शैक्षिक निहितार्थ:-इस इकाई अध्ययन के निहितार्थ निम्नानुसार हैं

शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में निहितार्थ मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में 49 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। सन 2001 में ग्रामीण

महिलाओं में साक्षरता दर 43 प्रतिशत थी, जो सन 2011 में 60 प्रतिशत है। अनेक प्रयासों के बावजूद अप्रवेशी तथा शालात्यागी बच्चों में लड़कियों की अधिक संख्या होना चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बरली संस्थान का साक्षरता पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना प्रभावी तथा श्रेष्ठ परिणामकारक हो सकती है। बरली की साक्षरता प्रविधि को सन 1990 में यू.के. की यूनिवर्सिटी आफ लाइसेंस्टर द्वारा अपनाया गया तथा विकासशील देशों में 81 सफल बुनियादी शिक्षा परियोजना के रूप में यूनेस्को के डेटाबेस में सूचीबद्ध किया गया। बरली में अपनायी गई गतिविधि आधारित समूह शिक्षण विधि तथा प्रशिक्षणार्थियों में से श्रेष्ठ इच्छुक का शिक्षक के रूप में चयन अनुकरणीय तथा उत्तम परिणामदायक है। यह संस्थान भारत सरकार के तकनीकी तथा गैर परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों में मिलकर काम करता है। संस्थान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के साथ जुड़ा हुआ है।

समाजसेवी संस्थाओं के लिए निहितार्थ यह इकाई अध्ययन समाजसेवी संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक है। संस्थान द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी संस्कृति, आवश्यकता और समझ को ध्यान में रखकर विकसित की गयी प्रशिक्षण सामग्री अन्य समाजसेवी संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। बरली संस्थान समाज सेवा विषय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए कार्य प्रदान करने वाली एजेन्सी रहा है। यहाँ सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, जैविक खाद, खाद्य प्रसंस्करण तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों का लाभ लेकर प्रशिक्षणार्थी अथवा अन्य समाजसेवी संस्था अपने क्षेत्र में स्वयं का और अपने समुदाय का विकास कर सकता है।

समाज के लिए निहितार्थ

सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान बराबरी की नहीं है, किन्तु समाज के विकास का अनुमान उस समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति से लगाया जाता है। परिवार के स्थायी विकास के लिए स्त्री की क्षमताओं का विकसित होना आवश्यक है, इस अध्ययन में यह पाया गया कि स्त्री को साक्षर तथा सक्षम (आय उत्पादक) बना देने से उसके परिवार तथा समुदाय का विकास होने लगता है। इस अध्ययन से समाज को प्रेरणा मिलती है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए स्त्री शिक्षा आवश्यक है और स्त्री शिक्षा की ओर अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. जैन, मंजू.(1992), *कार्यशील महिलायें एवं सामाजिक परिवर्तन*, प्रिंटवेल प्रकाशन, जयपुर.
2. जोशी, रामशरण.(1996), *आदिवासी समाज और शिक्षा*, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली.
3. रानी, आशु. (1997), *महिला विकास कार्यक्रम*, इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर.
4. शर्मा, ब्रम्हदेव. (पंचम संस्करण 1999), *आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचन*, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल.
5. पाण्डेय, रामशकल.(प्रथम संस्करण 2001), *शैक्षिक निबंध*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
6. मिश्र, करुणाशंकर. *भारतीय शिक्षा की समस्याएं*, वोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स इलाहाबाद .
7. सिंह, आनंद.(2004), *एक शैक्षिक नवाचारी संस्था का इकाई अध्ययन*, अप्रकाशित एम.एड.लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर,
8. पाल, एच.आर.(2006.), *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली.